



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-25/2018-594

दिनांक : 25.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/
कोडरमा वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन
प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/
जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन
प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी
वन प्रमण्डल/ पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल/ पलामू व्याघ्र
परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन"
योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं
भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य तथा बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाने एवं
वन वर्द्धन कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रु0 454.767 (चार
करोड़ चौवन लाख छिहत्तर हजार सात सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन
लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-37/2018-20/स्वी0 व0प0 दिनांक
27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-37/2018-
08/आ0 व0प0 दिनांक 30.04.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास
तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20
में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 454.767 (चार करोड़ चौवन लाख
छिहत्तर हजार सात सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया
जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	395.031
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	59.736
कुल :-		454.767

2.

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-1 एवं 2 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी

(Handwritten signature)

संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-3 एवं 4** तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-5** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103, 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।


5. इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार
- 

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-594

दिनांक-25.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-594

दिनांक-25.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ देवघर/ कोडरमा/ चतरा/ हजारीबाग/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ मेदिनीनगर/ लातेहार/ गढ़वा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			5671.14	1140.00	6811.14
दुमका रीजन					
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	400	22.685	4.560	27.245
2	देवघर वन प्रमण्डल	300	17.013	3.420	20.433
योग:—		700	39.698	7.980	47.678
हजारीबाग रीजन					
1	कोडरमा वन प्रमण्डल	400	22.685	4.560	27.245
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	22.685	4.560	27.245
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	440	24.953	5.016	29.969
योग:—		1240	70.323	14.136	84.459
जमशेदपुर रीजन					
1	चाईबासा वन प्रमण्डल	400	22.685	4.560	27.245
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	800	45.369	9.120	54.489
3	सरायकेला वन प्रमण्डल	400	22.685	4.560	27.245
योग:—		1600	90.739	18.240	108.979
पलामू रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	500	28.356	5.700	34.056
2	लातेहार वन प्रमण्डल	400	22.684	4.560	27.244
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	400	22.684	4.560	27.244
4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	22.684	4.560	27.244
योग:—		1700	96.408	19.380	115.788
सकल योग:—		5240	297.168	59.736	356.904

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2997.96	0.00	2997.96
दुमका रीजन					
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	60	1.799	0.000	1.799
2	देवघर वन प्रमण्डल	75	2.248	0.000	2.248
योग:—		135	4.047	0.000	4.047
हजारीबाग रीजन					
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	75	2.248	0.000	2.248
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	11.992	0.000	11.992
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	2.998	0.000	2.998
योग:—		575	17.238	0.000	17.238
पलामू रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	500	14.990	0.000	14.990
2	लातेहार वन प्रमण्डल	300	8.994	0.000	8.994
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	39	1.169	0.000	1.169
योग:—		839	25.153	0.000	25.153
वन्यप्राणी प्रभाग					
1	पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	600	17.988	0.000	17.988
2	पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	515.33	15.449	0.000	15.449
3	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	600	17.988	0.000	17.988
योग:—		1715.33	51.425	0.000	51.425
सकल योग:—		3264.33	97.863	0.000	97.863

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

249.83

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	499.66	640.00	1139.66	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1099.25	0.00	1099.25	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1249.15	0.00	1249.15	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	999.32	0.00	999.32	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	1823.76	0.00	1823.76	ट्रेन्च घेरान की मरम्मत
	योग-		22.70	5671.14	1140.00	6811.14	

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-4

“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर – 249.83 रु0

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रुपये में)						
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2019-20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	2997.96	0.00	2997.96	
	कुल	12	2997.96	0.00	2997.96	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/594

दिनांक - 25-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36949	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	2,448,400.00 रुपये चौइस लाख अठतालीस हजार चार सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36952	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,926,100.00 रुपये उन्नीस लाख छब्बीस हजार एक सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36954	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,268,500.00 रुपये बाइस लाख अडसठ हजार पाँच सौ

योग:

6,643,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छायठ लाख तीरयालीस हजार

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36959	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	3,467,700.00 रुपये चौतीस लाख सड़सठ हजार साल सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36962	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,795,100.00 रुपये सत्ताइस लाख पिनचानवे हजार एक सौ
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36966	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	224,800.00 रुपये दो लाख चौइस हजार आठ सौ

योग:

6,487,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड इकतीस लाख तीस हजार छः सौ

13,130,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36970	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	2,268,500.00 रुपये बाइस लाख अडसठ हजार पाँच सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36973	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S.) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,536,900.00 रुपये पैतालीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ
9	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36977	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,268,500.00 रुपये बाइस लाख अडसठ हजार पाँच सौ

योग:

9,073,900.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड बाइस लाख चार हजार पाँच सौ

22,204,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR (IFS))

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36982	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	4,334,600.00 रुपये तीरयालीस लाख चौतीस हजार सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36985	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	3,167,800.00 रुपये इकतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36989	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,268,400.00 रुपये बाइस लाख अडसठ हजार चार सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

योग:

9,770,800.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड उन्नीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ

31,975,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36990	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,385,300.00 रुपये तेइस लाख पिघयासी हजार तीन सौ
14	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36992	PLMFOR069 VINAY KANT MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	1,798,800.00 रुपये सत्रह लाख अठानवे हजार आठ सौ
15	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36996	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,544,900.00 रुपये पंद्रह लाख चवालीस हजार नौ सौ

योग:

5,729,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड सित्योत्तर लाख चार हजार तीन सौ

37,704,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36999	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	1,798,800.00 रुपये सत्रह लाख अठानवे हजार आठ सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
17	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	37005	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
18	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	37007	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	342,000.00 रुपये तीन लाख बयालीस हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

योग:

2,596,800.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड तीन लाख एक हजार एक सौ

40,301,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	37009	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	37012	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
21	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	37016	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	501,600.00 रुपये पाँच लाख एक हजार छः सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

योग:

1,413,600.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड सत्र ह लाख चौदह हजार सात सौ

41,714,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601101400323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	37018	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
23	S 19 240601101400323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	37021	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	912,000.00 रुपये नौ लाख बारह हजार
24	S 19 240601101400323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	37023	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार

योग:

1,824,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड पैतीस लाख अडतीस हजार सात सौ

43,538,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	37025	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	570,000.00 रुपये पाँच लाख सत्तर हजार
26	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	37026	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
27	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	37028	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार

योग:

1,482,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड पचास लाख बीस हजार सात सौ

45,020,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपौषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37031	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA			



योग:

456,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड चौपन लाख छहत्तर हजार सात सौ

45,476,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF DEV. JHARKHAND RANCHI